

हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
आदेश
दिनांक 13 जनवरी, 2017

कमांक एफ0जी0-1-2017/790 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-XI (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) तथा खंड 29 में दिये गये ब्यौरे अनुसार, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा निम्न निगरान समितियों का पुर्नगठन किया जाता है :-

खण्ड स्तर

- | | |
|--|-------------------|
| 1. खण्ड समिति का चयनित प्रधान | अध्यक्ष |
| 2. एक पुरुष/एक महिला लाभार्थी
(एक ए0ए0वाई0 तथा एक बी0पी0एल0 परिवार)
(जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 3. एक पुरुष/एक महिला लाभार्थी
(एक दिव्यांग, एक विधवा तथा अन्य प्राथमिक परिवार)
(जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 4. एक सामान्य/एक अनुसूचित जाति
(दोनों में से एक महिला लाभार्थी)
(जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 5. सिस्टम इंटेग्रेटर का प्रतिनिधि
(बिक्री यंत्र) | सदस्य |
| 6. सहायक खादय एवं पूर्ति अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 7. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी | विशेष अतिथि सदस्य |
- *खण्ड स्तरीय कमेटी खण्ड में उचित मूल्य की दुकान पर निगरानी रखेगी तथा उचित मूल्य की दुकान की कार्यप्रणाली एवं अन्य सम्बन्धित समस्याओं की रिपोर्ट जिला स्तरीय कमेटी को करेगी।

जिला स्तर

- | | |
|---|------------|
| 1. उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त उपायुक्त | सदस्य |
| 3. दो सरपंच
(उपायुक्त द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 4. दो नगर निगम के पार्षद अलग-अलग खण्ड से
(उपायुक्त द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 5. सात राशन कार्ड धारक
(तीन महिलाएं कम से कम)
प्रत्येक अलग-अलग खण्ड/टाऊन से
(एक विधवा तथा एक दिव्यांग)
2 ओ0पी0एच/2ए0ए0वाई0/1बी0पी0एल0 परिवार
(जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 6. उपभोक्ता मामले के लिए कार्य करने वाला एन0जी0ओ0
(जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 7. पुरुष और महिला समाज सेविका
(जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा मनोनित) | सदस्य |
| 8. सिस्टम इंटेग्रेटर का प्रतिनिधि
(बिक्री यंत्र) | सदस्य |
| 9. जिला प्रबंधक, कॉन्फैड | सदस्य |
| 10. जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक | सदस्य-सचिव |

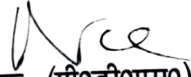
*समिति का अध्यक्ष समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है और जब भी समस्या का समाधान सम्भव ना हो, अपनी टिप्पणी सहित समस्या को राज्य स्तर की कमेटी के सदस्य-सचिव-कम-निदेशक, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा को प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त कमेटी उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध मासिक पी0डी0एस0 वस्तुओं की आवक व वितरण की निगरानी करेगी।

एस.एस. प्रसाद
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार।
2. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार, सैक्टर-28, चण्डीगढ़।
3. निदेशक, शहरी निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
5. सभी पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राज्य में।
6. उप-मण्डल अधिकारी (ना0)।
7. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में।


उप-निदेशक (पी0डी0एस0)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग चण्डीगढ़ ।
(१२/१)